भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3289
गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत योजना की विशेषताएँ

3289. श्री नरहरी अमीनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात में संस्वीकृत/आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात में पंजीकृत लोगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी।

इस योजना के तहत, निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 22-2021 के दौरान अंतिम अनुमान के तहत 4180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 20.03.2022 को, गुजरात राज्य में लाभार्थियों को 451.12 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना है। 20.03.2022 को, देश में 1.37 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

गुजरात में इस योजना के तहत 20.03.2022 तक पंजीकृत और लाभान्वित व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

राज्य सभा के दिनांक 31.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क.सं.	गुजरात में एबीआरवाई के तहत पंजीकृत और लाभान्वित कर्मचारियों की जिला-वार संख्या	
	जिला	**पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या**
1	वलसाद	63,419
2	वडोदरा	69,099
3	तापी	814
4	सुरेंद्रनगर	7246
5	सूरत	1,17,310
6	सबर कंथा	4132
7	राजकोट	43,191
8	पोरबंदर	3183
9	पटना	1869
10	पंच महल	8,026
11	नई दिल्ली	5
12	नवसारी	3226
13	नर्मदा	338
14	मोरबी	1036
15	मेहसाना	30,099
16	खेड़ा	3423
17	कच्छ	41,349
18	जूनागढ़	3974
19	जामनगर	31,197
20	गुजरात	47
21	गिर सोमनाथ	307
22	गांधीनगर	20,778
23	दोहाद	254
24	दीव	93
25	देवभूमि द्वारका	1067
26	डांग	186
27	दमन और दीव	375
28	दमन	22,905
29	दादरा और नगर हवेली	41,725
30	छोटे उदयपुर	76
31	बोटाड	132
32	भावनगर	11,294
33	भरूच	40,600
34	बनास कंथा	5725
35	अरावली	85
36	आनन्द	6786
37	अमरेली	3196
38	अहमदाबाद	1,75,603
	योग	**7,64,170**